

सं.सं. 2-3/2023-24/जीपीएफ अंशदान/लेखा शाखा  
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्  
श्री अरबिन्दो मार्ग, नई दिल्ली-110016  
(वेतन अनुभाग, लेखा शाखा)

दिनांक:- 02-03-2023

परिपत्र

विषय:- सामान्य भविष्य निधि में अंशदान की राशि हेतु विकल्प प्रस्तुत करने के क्रम में।

जैसा कि परिषद् के सभी नियमित कार्मिकों को विदित है कि पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, कार्मिक, लोकशिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय जापन संख्या F.No. 3/13/2022-P&PW(F) (8353) दिनांक 02.11.2022 द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 से एक कार्मिक द्वारा एक वित्त वर्ष में सामान्य भविष्य निधि में 5,00,000 (पांच लाख) की सीमा तक ही अंशदान किया जा सकता है। इसी अनुक्रम में स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक F.No. 1-40/2022-INS-4 दिनांक 10.01.2023 द्वारा परिषद् को पालना हेतु पत्र प्राप्त हुआ जिसके अनुपालन में परिषद् द्वारा तुरंत प्रभाव से 5 लाख से अधिक अंशदान वाले सामान्य भविष्य निधि खातों में अंशदान शेष वित्तीय वर्ष के लिये रोक दिया गया था।

चूंकि आगामी वित्त वर्ष 2023-2024 के लिये सामान्य भविष्य निधि अंशदान की कटौती माह मार्च 2023 के वेतन से प्रारंभ की जायेगी अतः सामान्य भविष्य निधि में अंशदान हेतु पात्र सभी नियमित कार्मिकों से अनुरोध किया जाता है कि कृपया इस परिपत्र के जारी होने के 10 कार्य दिवसों के अंदर सामान्य भविष्य निधि हेतु कटौती की राशि के लिये पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, कार्मिक, लोकशिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय जापन संख्या F.No. 3/13/2022-P&PW(F) (8353) दिनांक 02.11.2022 में दी गई शर्तों के अनुरूप स्व-विकल्प अद्योहस्ताक्षरी को प्रेषित करने का कष्ट करें अन्यथा नियमानुसार कटौती कर दी जायेगी।

*जितेन्द्र*  
02/03/2023  
(जितेन्द्र सिंह क्षेत्री)

लेखाधिकारी

जितेन्द्र सिंह क्षेत्री  
JEETENDRA SINGH KSHETRY  
लेखाधिकारी/Accounts Officer  
रा.शै.अ.प्र.प./N.C.E.R.T.  
नई दिल्ली-16/New Delhi-16

प्रतिलिपि:-

1. परिषद् के सभी विभागों/प्रभागों/प्रकोष्ठ/इकाई/अनुभाग के प्रमुख
2. निदेशक, रा.शै.अ.प्र.परिषद् के निजि सचिव
3. संयुक्त निदेशक, रा.शै.अ.प्र.परिषद् के निजि सचिव
4. संयुक्त निदेशक, रा.शै.अ.प्र.परिषद् के निजि सचिव
5. सचिव, एनसीईआरटी के निजि सचिव
6. प्रभागाध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग
7. मुख्य लेखा अधिकारी, रा.शै.अ.प्र.परिषद्, नई दिल्ली
8. विभागाध्यक्ष, डीआईसीटी, सीआईईटी को परिषद् की अधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु
9. श्री एन.एल.श्रीनिवास, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट को ई-ऑफिस में KMS में अपलोड करने हेतु
10. समस्त नोटिस बोर्ड
11. कार्यालय प्रति